Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

—::परिपत्र ::—

क्रमांक 105 /2017 दिनांक 10/02/2017

विषय :- आवास मेला, 12 फरवरी 2017 के अवसर पर मण्डल के लोगो डिजाईन, नारा लेखन एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन।

---000---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा 12 फरवरी 2017 को अपने गठन की 13 वी वर्षगांठ के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त प्रदेशवासियों की भागीदारी तथा जागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डिजाईन एवं नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है:-

(अ) मण्डल हेतु लोगो डिजाईन प्रतियोगिता

सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय एवं निजी संस्थान अपनी विशिष्टियों आदि को व्यक्त करने के लिए लोगो को विज्ञापनों तथा पत्राचार इत्यादि में प्रदर्शित करते हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा भी लोगो का उपयोग सभी विज्ञापनों एवं पत्राचार इत्यादि में किया जाता है। जन सामान्य में इच्छुक प्रतिभागियों से मण्डल के लिए श्रेष्ठ लोगो डिजाईन एवं नारा (स्लोगन) आमंत्रित किए जाते है।

प्रतियोगिता के लिए नियम एंव शर्तें निम्नानुसार है:-

1. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयु का कोई बंधन नही है।
2. एक प्रतिभागी केवल 01 ही प्रविष्ठी प्रेषित कर सकता है। एक से अधिक प्रविष्ठी प्राप्त होने पर केवल एक ही प्रविष्ठी पर विचार किया जावेगा।
3. सभी प्राप्त लोगो में से एक सर्वश्रेष्ठ लोगो का चयन किया जावेगा।
4. सर्वश्रेष्ठ चयनित प्रविष्ठी हेतु रू. 1,00,000/- (एक लाख रूपये) पुरस्कार दिया जायेगा।
5. पुरस्कृत लोगो पर सर्वाधिकार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का होगा। मण्डल द्वारा उक्त लोगो का उपयोग अपने प्रचार प्रसार अन्य साधनो में किया जायेगा।
6. प्रविष्टि में प्राप्त सी.डी. वापस नहीं किये जायेगे और न ही इसके लिए कोई पारिश्रमिक या शुल्क पृथक से दिया जावेगा।
7. प्रतिभागी अपने द्वारा बनाये गये लोगो एवं सी.डी. बंद लिफाफे में 25 फरवरी 2017 को दोपहर 3.00 बजे तक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय नया रायपुर में डाक से या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् किसी भी प्रतिभागी की प्रविष्ठी मान्य नही किये जायेगे। डाक के विलंब के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल जिम्मेदार नही होगा।
8. आवेदक का नाम, पिता का नाम संपूर्ण पता, मोबाईल नंबर अन्य संपर्क पता/ई-मेल आदि की जानकारी प्रविष्ठी के साथ देना अनिवार्य है।

क्रमश :-02

9. प्रतियोगिता में शामिल प्रविष्ठियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रविष्ठियों का चयन मण्डल द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा तथा समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

10. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(ब) मण्डल हेतु नारा लेखन प्रतियोगिता

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा जनमानस को मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित आवास प्रदाय किया जाता है। मण्डल द्वारा विशेष रूप से अल्प तथा निम्न आय वर्ग हेतु आवासीय योजनाएं कियान्वित की जाती है। मण्डल की आवास निर्माण एवं अन्य गतिविधियों को जन– जन तक पहुँचाने हेतु नारा लेखन (स्लोगन) प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है।

प्रतियोगिता के लिए नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है :–

1. प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयु का कोई बंधन नहीं है।
2. एक प्रतिभागी अधिकतम 03 नारा (स्लोगन) प्रेषित कर सकता है।
3. नारा (स्लोगन) अधिकतम 20 शब्दों में होना चाहिए।
4. नारा (स्लोगन) हिन्दी/ अंग्रेजी भाषा में मान्य किये जायेगे।
5. सभी प्राप्त प्रविष्ठियों में से तीन सर्वश्रेष्ठ प्रविष्ठियों का चयन किया जायेगा। जिसे चयन समिति द्वारा श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीवार प्रथम, द्वितीय, तृतीय कम दिया जायेगा।
6. सर्वश्रेष्ठ प्रविष्ठि हेतु रू. 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) पुरस्कार दिया जायेगा।
7. पुरस्कृत नारा (स्लोगन) पर सर्वाधिकार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का होगा। मण्डल द्वारा उक्त नारा (स्लोगन) का उपयोग अपने प्रचार–प्रसार तथा अन्य साधनों में किया जायेगा।
8. प्राप्त प्रविष्टि वापस नहीं किये जायेगे और न ही इसके लिये कोई पारिश्रमिक या शुल्क पृथक से दिया जायेगा।
9. प्रतिभागी अपने द्वारा तैयार किये गये नारा (स्लोगन) बंद लिफाफे में 25 फरवरी 2017 को दोपहर 03 बजे तक उपायुक्त–01, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय पर्यावास भवन नया रायपुर में डाक के विलंब के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल जिम्मेदार नहीं होगा
10. नारा (स्लोगन) की मौलिकता / स्वयं के द्वारा लिखे जाने के संबंध में तथा किसी अन्य प्रतियोगिता में प्रस्तुत या शामिल नहीं होने के संबंध में शपथ पूर्वक लिखित ब्यान भी देना होगा।

कमशः :–03

11. आवेदक का नाम, पिता का नाम, संपूर्ण पता, मोबाईल, नंबर, अन्य संपर्क पता/ ई-मेल आदि की जानकारी प्रविष्ठी के साथ देना अनिवार्य है।
12. प्रतियोगिता में शामिल प्रविष्ठियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठियों का चयन मण्डल द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा तथा समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

आदेशानुसार

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय नया रायपुर

पृष्ठ. क्रमांक 312 /अ.आ./सं.प्र.शा./मुख्या./17 नया रायपुर, दिनांक 10/02/2017

प्रतिलिपिः-

1. स्टॉफ आफिसर, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय,पर्यावास भवन, नया रायपुर।
2. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय,पर्यावास भवन, नया रायपुर।
3. अपर आयुक्त, I/II छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर ।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय,पर्यावास भवन, नया रायपुर।
6. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर।
7. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त-नया रायपुर/रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
8. लेखा अधिकारी/संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय,पर्यावास भवन नया रायपुर
9. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, प्रक्षेत्र-1,2,3,4,5 रायपुर/ दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/रायगढ़/कोरबा/कोण्डागांव/महासमुंद/धमतरी/ कवर्धा।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, संभाग-1/2/3/4,रायपुर/राज.परि. संभाग-1,रायपुर/संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/महासमुंद/धमतरी/कवर्धा/जगदलपुर/ रायगढ़/ कोरबा/कोण्डागांव/अम्बिकापुर

क्रमश :-04

11. सूचना केन्द्र, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन नया रायपुर/शंकर नगर रायपुर।

12. आई.टी., शाखा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर ।

13. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
मुख्यालय नया रायपुर